

प्रक,

जितेन्द्र कुमार मलिक,
सदस्य सचिव (मण्डलीय समिति) एवं
संयुक्त शिक्षा निदेशक, अलीगढ़ मण्डल अलीगढ़।

समा में

सचिव,
केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा परिषद,
शिक्षा केन्द्र-2, समुदाय केन्द्र,
प्रीत विहार, नई दिल्ली।

माध्यमिक शिक्षा (NOC) अनुभाग / _____ / 2018-19

NOC STA
G

दिनांक 25/11/2018

उप- महादेवी एकेडमी खनपुर भोजपुर तहसील गभाना अलीगढ़ को सी0बी0एस0ई0, नई दिल्ली से सम्बद्धता हेतु अनापत्ति प्रमाण-पत्र दिये जाने के सम्बन्ध में।

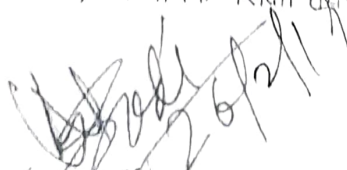
सद्व,

उपरोक्त विषयक शासनादेश संख्या-1916/15-7-9(299)/2017 दिनांक: 14-07-2017

मण्डलीय समिति की बैठक दिनांक: 27.11.2018 में लिये गये निर्णय के अनुसार
विद्यालय को सी0बी0एस0ई0, नई दिल्ली से सम्बद्धता हेतु निम्नलिखित प्रमाण-पत्र
अनापत्ति प्रमाण-पत्र दिये जाने का निर्णय लिया गया है।

1. विद्यालय की पंजीकृत सोसायटी का समय-समय पर नवीनीकरण कराया जायेगा।
2. संस्था के शैक्षिक एवं शिक्षणोत्तर कर्मचारियों को राजकीय सहायता प्राप्त शिक्षण संस्थानों के कर्मचारियों को अनुमन्य वेतनमानों तथा अन्य भत्तों से कम वेतनमान तथा अन्य भत्तों दिये जायेंगे।
3. कर्मचारियों की सेवा शर्तें बनायी जायेगी और उन्हें सहायता प्राप्त शासकीय निकायों के कर्मचारियों को अनुमन्य सेवानिवृत्ति का लाभ उपलब्ध कराया जायेगा।
4. विद्यालय में कम से कम 10 प्रतिशत स्थान अनुसूचित जाति/जनजाति के कर्मचारियों के लिए सुरक्षित रहेंगे और उनसे उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद/शैक्षिक विभाग द्वारा संचालित विद्यालयों में विभिन्न कक्षाओं के लिए निर्धारित शुल्क से सम्बन्धित शुल्क लिया जायेगा।
5. शुल्क की मद एवं धनराशि के सम्बन्ध में "उ0प्र0स्ववित्त पोषित स्वायत्त विद्यालयों के निर्धारण अध्यादेश 2018" का अनुपालन किया जायेगा।
6. राज्य सरकार/मण्डलीय समिति/शिक्षा विभाग द्वारा समय-समय पर जो भी निर्देश दिये जायेंगे, संस्था उनका पालन करेगी।
7. उक्त शर्तों में राज्य सरकार/मण्डलीय समिति/शिक्षा विभाग के पुरान्तरण, परिवर्तन/परिवर्तन/परिवर्तन नहीं किया जायेगा।
8. विद्यालय का रिकॉर्ड निर्धारित प्रपत्र पंजिकाओं में रखा जायेगा।
9. विद्यालय की प्रबन्ध समिति में शिक्षा निदेशक/माध्यमिक शिक्षा विभाग द्वारा नियुक्त सदस्य होगा।


FOUNDER
MAHADEVI ACADEMY
Gurukul (Aigarh)


26/11/18

संयुक्त शिक्षा निदेशक, अलीगढ़ मण्डल
अलीगढ़ (Aigarh)

Principal
Mahadevi Academy

10. संस्था द्वारा राज्य सरकार से किसी अनुदान की मांग नहीं की जायेगी और यदि विद्यालय माध्यमिक शिक्षा परिषद से मान्यता प्राप्त है तथा विद्यालय की संरचना बोर्ड ऑफ सैक्रेण्ट्री एड्युकेशन, नई दिल्ली/कौंसिल फॉर दि इण्डियन स्कूल ऑफ एजामिनेशन, नई दिल्ली से प्राप्त होती है, तो उक्त परीक्षा से सम्बद्धता प्राप्त होने की संभावना से उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद द्वारा प्रदत्त मान्यता तथा राज्य सरकार से अनुदान स्वतः समाप्त हो जायेगे।

11. निशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम-2009 के अन्तर्गत निर्धारित वर्ग के बच्चों को प्रवेश प्रदान करना अनिवार्य होगा।

12. संस्था की वार्षिक आय-व्यय का सी0ए0 द्वारा प्रमाणित वार्षिक लेखा-जोखा प्रत्येक दिसम्बर तक इस कार्यालय को उपलब्ध कराया जाये।

13. स्कूल सुरक्षा नीति 2016 का अनुपालन सुनिश्चित किया जाये।

उक्त प्रतिबन्धों का पालन करना संस्था के लिये अनिवार्य होगा और यदि किसी कारणवश यह पाया जाता है कि संस्था द्वारा उक्त प्रतिबन्धों का पालन नहीं किया जा रहा है तो पालन करने में किसी प्रकार की चूक या शिथिलता बरती जाती है, तो सरकार/मण्डलीय समिति द्वारा प्रदत्त अनापत्ति प्रमाण पत्र वापस ले लिया जायेगा।

भवदीय

(जितेन्द्र कुमार मलिक)

सदस्य सचिव (मण्डलीय समिति) एवं
संयुक्त शिक्षा निदेशक, अलीगढ़ मण्डल अलीगढ़।

प्रमाणित संख्या-एस0टी0/5157-43/2018-19 तद् दिनांक।

प्रतिनिधि निम्नांकित की सेवा में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु स्थित-

1-आयुक्त अलीगढ़ मण्डल अलीगढ़।

2-जिलाधिकारी, अलीगढ़।

3-संयुक्त सचिव(शिक्षा-7अनुभाग)उत्तर प्रदेश शासन, लखनऊ।

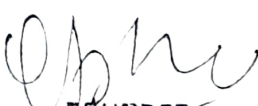
4-शिक्षा निदेशक(माध्यमिक)उत्तर प्रदेश लखनऊ।

5-जिला विद्यालय निरीक्षक, अलीगढ़।

6-प्रमुख, महादेवी एकेडमी ग्यनपुर भोजपुर तहसील गभाना अलीगढ़।

(जितेन्द्र कुमार मलिक)

सदस्य सचिव (मण्डलीय समिति) एवं
संयुक्त शिक्षा निदेशक, अलीगढ़ मण्डल अलीगढ़।


FOUNDER
MAHADEVI ACADEMY
Gyanpur


Principal
Mahadevi Academy
Gyanpur